UPLL010020962026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

उपस्थितः– अशोक कुमार सिंह,

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 507/2026

वैभव कुमार, उम्र करीब 27 वर्ष, पुत्र बलराम, निवासी– ग्राम जतारा, थाना जतारा, जिला ललितपुर।

–––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

–––––विपक्षी।

मु०अ०सं० 258/2026,
धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2),
352, 351(3) बी.एन.एस.,
थाना कोतवाली ललितपुर।

दिनाँकः 06.06.2026

आवेदक/अभियुक्त वैभव कुमार की ओर से मु०अ०सं० 258/2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर के प्रकरण में धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 507/2026 प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में कहा गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसके द्वारा इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त इस प्रकरण में कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं किसी भी अन्य न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और ना ही निरस्त हुआ है। उक्त तथ्यों का कोई खण्डन अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

4. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुन्नालाल परिहार द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ललितपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसका नाती (पुत्री का पुत्र) आर्यन परिहार शिक्षित बेरोजगार रहा है। ग्राम निबाई थाना पाली में सन्तोष रानी पत्नी भगवानदास परिहार के यहाँ पर काली माता की चौकी लगती थी, जिसमें उसका आना जाना होता रहा है। वहीं पर भूरेलाल पुत्र अज्ञात एवं प्रमोद पुत्र भूरेलाल, निवासी गेस्ट हाऊस के पीछे गौना, थाना नाराहट का आना जाना होने के कारण उसका उक्त लोगों से परिचय हो गया था। वर्ष 2022 में सन्तोष रानी, भूरेलाल व प्रमोद ने उससे कहा कि सन्तोष रानी के भाई गब्बर सिंह राय, निवासी पूर्व पार्षद, उद्योग विभाग के सामने ढोगा, टीकमगढ़, थाना कोतवाली टीकमगढ, जिला टीकमगढ़ की रेलवे विभाग में अच्छी पकड़ है तथा वह अपने नाती आर्यन की नौकरी लगवा दे। सन्तोष रानी, भूरेलाल, प्रमोद ने गब्बरसिंह से उसको मिलवाया तो गब्बरसिंह ने उससे कहा कि वह उसके नाती आर्यन की नौकरी लगवा देगा, जिसके लिये उसे 4,50,000/– रुपये खर्च करना होगा। जब उसने गब्बरसिंह की बात पर विश्वास कर लिया तो गब्बरसिंह ने उसे अनैतिक उर्फ अनिकेत गिरी, निवासी मुहल्ला

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.06.06 15:02:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तालाबपुरा ललितपुर एवं वैभव कुमार से मिलवाया। उक्त सभी लोगों ने षडयन्त्र करते हुए उससे मुबलिग 1,45,000/– रुपये वैभव कुमार के खाते में फोन पे के माध्यम से ट्रान्सफर करवाये। इसके अतिरिक्त, उसने विभिन्न तिथियों में मुबलिग 1,55,000/– रुपये उक्त लोगों को दिये। इस प्रकार उसके द्वारा उक्त लोगों को मुबलिग 3,00,000/– रुपया दे दिया गया जिस पर उक्त लोगों द्वारा उसके नाती आर्यन परिहार के नाम से रेलवे विभाग का एक आईडी कार्ड एवं अन्य प्रपत्र दिये गये तथा उससे कहा कि उक्त दस्तावेज के आधार पर उसका नाती आर्यन परिहार झाँसी में इलैकट्रिक ट्रिप शेड में नौकरी कर सकता है और उससे शेष 1,50,000/– रुपये की माँग की गयी, जिस पर उसने कुछ दिनों का समय माँगा। जब वह, आर्यन सहित इलैक्ट्रिक ट्रिप शेड, झाँसी गया, तब उसे जानकारी हुई कि उक्त दस्तावेज फर्जी है। उसके द्वारा उक्त कागजात के बारे में उक्त लोगों को बताया गया तथा अपना उक्त 3,00,000/– रुपया वापिस करने के लिए कहा, तब उक्त लोग बराबर टाल मटोल करते रहे और उसका उक्त रुपया वापिस नहीं किया, जिससे कि वह काफी परेशान हो गया। जब उसने उक्त लोगों से पैसा माँगा, तब उसे जान से मारने की धमकी तथा झूठे मुकदमे में फँसाये जाने की धमकी दी जाने लगी, जिससे वह काफी परेशान हो गया। दिनाँक 24.11.2026 को समय करीब 9.55 बजे उसने गब्बर से फोन पर बात की और अपना रुपया वापिस करने के लिए कहा, तब गब्बर सिंह द्वारा उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसे जान से मरवा देने की धमकी दी गयी। इस प्रकार उक्त लोगों द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी व जालसाजी करते हुए उक्त रुपये हड़प कर लिये गये हैं। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक ललितपुर को दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

5. वादी मुकदमा मुन्नालाल परिहार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में आवेदक/अभियुक्त वैभव व पाँच अन्य क्रमशः सन्तोष रानी, भूरेलाल, प्रमोद, गब्बर सिंह व अनैतिक उर्फ अनिकेत गिरि के विरुद्ध मुकामी थाने कोतवाली ललितपुर में अपराध संख्या 258/2026 पर धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. में मुकदमा पंजीकृत हुआ। मामले की विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक बेगुनाह एवं बेकसूर है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। वह प्रकरण की विवेचना में सम्पूर्ण सहयोग करने को तैयार है, परन्तु थाना कोतवाली ललितपुर की पुलिस, वादी मुकदमा के दबाव में ऐन–केन–प्रकारेण उसे गिरफ्तार कर बेइज़्ज़त करने हेतु प्रयासरत हैं। पुलिस उसे जबरदस्ती परेशान कर रही है और बिना किसी कारण जेल भेजना चाहती है। उसके पास देश छोड़ कर जाने के लिये कोई पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज नहीं है, जिस कारण उसके देश छोड़कर भागने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्ष 2022 में नौकरी लगवाने एवं धनराशि की बात किये जाने का कथानक अंकित किया गया है, लेकिन वादी मुकदमा द्वारा आवेदक/अभियुक्त के खाते में नौकरी के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि भेजी नहीं गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से पंजीकृत करायी गयी है और विलंब का कोई कारण भी रिपोर्ट में अंकित नहीं है। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त/आवेदक को स्वयं वर्ष 2021 में सहअभियुक्तगण द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर प्रलोभित किया गया था तथा उसे भी रेलवे प्रशिक्षण सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध कराये गये थे। जो दस्तावेज अभियोजन द्वारा वादी के नाती के नाम से प्रस्तुत किये गये हैं, वह वर्ष 2022 के हैं, जबकि उसके पास उपलब्ध समान प्रकार के दस्तावेज वर्ष 2021 के हैं। इससे यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि वह स्वयं सहअभियुक्तगण के झाँसे में पहले से ही फंसा हुआ था और किसी आपराधिक षड़यंत्र का भागीदार नहीं था। दस्तावेजों में सहअभियुक्त अनिकेत गिरि का नाम अंकित है, जिसकी मुख्य भूमिका प्रतीत होती है। उसके द्वारा वादी के नाती को कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। वादी द्वारा 145000/– रूपये की धनराशि उसके बैंक खाते में अवश्य प्राप्त

करायी गयी थी, लेकिन उसने उक्त राशि अपने उपयोग में न लेकर सहअभियुक्त गब्बर सिंह (जो मुन्नालाल का रिश्ते में सगा साला है) के कहने पर लकी कम्प्यूटर, टीकमगढ़ (म.प्र.) को स्थानांतरित कर दी थी, जिसे गब्बर ने लकी कम्प्यूटर से नगद प्राप्त कर लिया था। उसके द्वारा वादी को कोई भी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उसके नाती का ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। वादी द्वारा उससे धनराशि ऐंठने के लिये उसके विरूद्ध यह मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। वादी मुकदमा ने दिनांक 24.11.2026 को समय करीब 9.55 बजे उक्त प्रकरण के अभियुक्त गब्बर से फोन करने की बात अंकित की है, लेकिन दिनांक 24.11.2026 अभी तक आई ही नहीं है। उसके द्वारा वादी से कोई भी लेन–देन नहीं किया गया है, ना ही नौकरी के नाम पर पैसा लिया गया है और ना ही ज्वाईनिंग लेटर दिया गया है। उसका प्रकरण के सहअभियुक्तगण से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है।

7. अभियोजन की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त वैभव कुमार द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी से नौकरी लगवाने के नाम पर उससे लाखों रूपये ऐंठे गये हैं और साथ ही सहअभियुक्त अनिकेत गिरि के साथ मिलकर वादी को रेलवे के ज्वाइनिंग लेटर, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र एवं रेलवे सम्बन्धी अन्य कूटरचित दस्तावेज उपलब्ध कराये गये हैं।

8. केस डायरी के परिशीलन से ज्ञात से होता है कि प्रकरण की प्राथमिकी वादी मुकदमा मुन्नालाल परिहार द्वारा आवेदक/अभियुक्त वैभव कुमार व अन्य पाँच सहअभियुक्तगण संतोष रानी, भूरेलाल, प्रमोद, गब्बर सिंह व अनैतिक उर्फ अनिकेत गिरि के विरुद्ध नामज़द दर्ज कराई गई है। कथित आवेदक/अभियुक्त पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा से बेईमानी करते हुए छलपूर्वक 3,00,000/– रूपये ऐंठने, सरकारी दस्तावेजों की कूटरचना कर उन कूटरचित दस्तावेजों का असली के रूप में प्रयोग करने, वादी मुकदमा के साथ गाली–गलौज करने तथा उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

9. वादी मुकदमा मुन्नालाल परिहार द्वारा अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में प्राथमिकी के तथ्यों का समर्थन किया गया है।

10. केस डायरी पर प्रकरण में रेलवे प्रशिक्षण से संबंधित एक दस्तावेज़ व उत्तर मध्य रेलवे, डी.एस.एल., झाँसी द्वारा आर्यन परिहार (पंजीकरण सं. AP360510339) नाम से जारी पहचान पत्र संलग्न है, जिसके संबंध में कहा गया है कि उक्त दस्तावेज़, आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी एवं कूटरचना कर तैयार किया गया है। उक्त दस्तावेज़ की सत्यता के परीक्षण हेतु विवेचक द्वारा डिवीज़नल मैनेजर, डीजल लोको शेड, एन.सी.आर., झाँसी, डिवीजनल ऑफिस, नार्थ रेलवे, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झाँसी को पत्र प्रेषित कर यह जानकारी मांगी गई कि क्या उत्तर मध्य रेलवे, डि.लो.स., झाँसी द्वारा निर्गत पहचान पत्र क्रमांक AP360510350, नाम आर्यन परिहार, पद–फिटर, जन्मतिथि– 03.01.2003, नियुक्ति की तिथि– 13.07.2022, ब्लड ग्रुप– बी पॉज़िटिव एवं डीजल लोको/इलेक्ट्रिक लोको शेड, वीरांगना लक्ष्मीबाई, नॉर्थ सेण्ट्रल रेलवे, लोकोमोटिव ट्रेनिंग सेण्टर, वीरांगना लक्ष्मीबाई से जारी ई.एम.पी. नं. AP360510350, लोकोमोटिव ट्रेनिंग सेण्टर, नॉर्थ सेण्ट्रल रेलवे, ट्रेनर नेम– AKGOS आपकी संस्था द्वारा विधिवत निर्गत किया गया है। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता (सामान्य), डीजल लोको शेड, झाँसी द्वारा अभिलेख पर यह अंकित किया गया है कि Emp. No. AP360510339 के संबंध में डीजल लोको शेड, झाँसी में कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

11. वादी मुकदमा द्वारा आवेदक/अभियुक्त को हस्तांतरित की गई कथित 1,45,000/– रूपये की धनराशि के संबंध में वादी मुकदमा द्वारा जिन व्यक्तियों (कुन्दन परिहार व कप्तान सिंह) से आवेदक के खाते में धनराशि हस्तांतरित करवाई गई थी, उनके खातों एवं आवेदक/अभियुक्त के बैंक खाते का विवरण तथा बैंक स्टेटमेंट विवेचना के दौरान संकलित किए

गए हैं। कथित धनराशि का लेन–देन नगद न होकर बैंकिंग माध्यम, अर्थात् यू.पी.आई. के माध्यम से होना बताया गया है। विवेचक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा ललितपुर व सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा ललितपुर को लिखे गये पत्रों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादी मुकदमा द्वारा उक्त धनराशि आवेदक/अभियुक्त के खाते में कप्तान सिंह एवं कुन्दन परिहार के माध्यम से हस्तांतरित कराई गई थी। केस डायरी में उपलब्ध बैंक अभिलेखों का परीक्षण करने पर यह परिलक्षित होता है कि आवेदक/अभियुक्त वैभव कुमार के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) स्थित खाता संख्या 39635413929 में दिनांक 08.06.2022 एवं 09.06.2022 को कुन्दन नामक व्यक्ति द्वारा यू.पी.आई. माध्यम से क्रमशः 50,000/– रुपये एवं 50,000/– रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई है। केस डायरी में यू.पी.आई. द्वारा हस्तांतरित धनराशि के स्क्रीनशॉट भी संलग्न हैं, जिसमें वैभव कुमार नाम के व्यक्ति के खाते में दिनांक 06.06.2022 समय 01.56 पी.एम. व 02.14 पी.एम. पर 20,000–20,000/– रूपये तथा समय 02.18 पी.एम. पर 5,000/– रूपये के लेन–देन का विवरण अंकित है। उक्त यू.पी.आई. लेन–देनों का मिलान कप्तान सिंह के सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया स्थित खाता संख्या 3197682860 के बैंक स्टेटमेंट से करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि दिनांक 06.06.2022 को उसके खाते से क्रमशः 20,000/– रुपये, 20,000/– रुपये एवं 5,000/– रुपये की धनराशि डेबिट होकर हस्तांतरित हुई थी। उपलब्ध संलग्न बैंक स्टेटमेंट्स के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि वादी मुकदमा द्वारा उल्लिखित व्यक्तियों, अर्थात् कप्तान सिंह के सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ललितपुर स्थित खाता संख्या 3197682860 तथा कुन्दन परिहार के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा हसारी, जिला झाँसी स्थित खाता संख्या 20421238947 से संबंधित धनराशि डेबिट होकर आवेदक/अभियुक्त वैभव कुमार के उपर्युक्त बैंक खाते में क्रेडिट हुई है। केस–डायरी पर उपलब्ध अभिलेखों से कथित वित्तीय लेन–देन की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है।

16. अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति, आवेदक/अभियुक्त की कथित घटना में भूमिका एवं उपलब्ध वित्तीय लेन–देन के विवरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त वैभव कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 258/2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 507/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः 06.06.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।